



राजस्थानसरकार
कार्यालय अधीक्षणभूवैज्ञानिक,
खान एवंभूविज्ञानविभाग, अजमेरवृत्त, अजमेर
दुरभाषनं. 0145-2424695 फेक्स-0145-2628665
E-mail :supgeo.ajmer@rajasthan.gov.in

पता-
खनिजभवन, आर.पी.एस.सी के पास, घुघरा
घाटी, जयपुररोड, अजमेर
305001(राजस्थान)



क्रमांक :- अभूवै/अज/स्टोर/2022-23/756

दिनांक : 9-1-23

कोटेशन से कोर बॉक्स खरीदने हेतु सूचना 03/2022-23

इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कोर बॉक्स क्रय हेतु सूचना को चस्पा कर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 24 से इस कार्यालय में तकनीकी कार्य हेतु कोर बॉक्स क्रय किया जाना है। जिसकी अनुमानित लागत सभी कर एवं फोर डिलीवरी सहित (कार्यालय भवन पहुंचाने तक) रूपये 100000/ से कम होगी। कोर बॉक्स का स्पेशीफिकेशन निम्नानुसार रहेगा।

Core box with cover (with lock socket and both side handle)(लम्बाई 1 मीटर, चौड़ाई 295-300 एमएम, ऊँचाई 60 एमएम, 5 रेक, मोटाई न्यूनतम 22 गेज, कोर बॉक्स की चददर उच्च गुणवत्ता जैसे की TATA, JSL, SAIL आदि की Galvanized Iron Sheetकी होनी चाहिए।) (कोर बॉक्स लगभग- 80 नग)

अतः सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.01.2023 दोपहर 11:00 बजे तक इस कार्यालय में उपरोक्त स्पेशीफिकेशन अनुसार कोटेशन जमा कराने का श्रम करें।

संलग्न :- कोर बॉक्स क्रय की शर्तें

भवदिय

सुनील कुमार

अधीक्षण भूवैज्ञानिक
अजमेर

क्रमांक क्रमांक :- अभूवै/अज/स्टोर/2022-23/757-800
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक : 9-1-23

1. नोडल अधिकारी DMGOMS निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
2. नोटिस बोर्ड, जिला उद्योग अधिकारी, अजमेर।
3. नोटिस बोर्ड, अधीक्षण खनि अभियन्ता अजमेर।
4. नोटिस बोर्ड, खनि अभियन्ता, अजमेर।

अधीक्षण भूवैज्ञानिक
अजमेर

[Type text]


o/c

कोर बॉक्स क्रय हेतु निर्धारित शर्तें

कोटेशन से कोर बॉक्स क्रय हेतु सूचना भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार में पंजीकृत एवं स्थित पंजीकृत फर्म आदि उद्यमों हेतु ही है।

1. कोटेशन द्वारा कोर बॉक्स क्रय करने हेतु सूचना विभागीय वेबसाईट <http://www.mines.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
2. कोटेशन से अनुरोध सीलबन्द लिफाफे में इस कार्यालय में दिनांक 17.01.2023 को दोपहर 11.00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त कोटेशन उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जाएगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उपापन समिति न्यूनतम दर वाली कोटेशन को स्वीकार किये जाने के लिये बाध्य नहीं तथा किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
5. दरे अंको एवं शब्दों में कोटेशन प्रपत्र में दिये गये स्थान पर ही भरी जावें। कटींग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो वह साफ एवं लघु हस्ताक्षरित हो।
6. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित एवं कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग अजमेरवृत्त, अजमेर में आपूर्ति हेतु FOR डेस्टिनेशन तथा बीमा सहित प्रस्तुत करनी होगी।
7. अपरिहार्य कारणों से यदि कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।
8. उपापन का निर्धारित प्रतिशत RTPP Act 2012 and RTTP Rules 2013 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्वाधीन स्थानीय उद्यमों से उपापन के लिये निश्चित किया जाएगा।
9. विभाग में सप्लाई/कार्य हेतु बोलीदाता के कर्मचारियों की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। सप्लाई/कार्य के दौरान किसी भी नुकसान, क्षति, दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
10. कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म को पेन नम्बर व जीएसटी नम्बर उल्लेखित करना अनिवार्य है।

भवदिय



(सुनील कुमार)

अधीक्षण भूवैज्ञानिक
अजमेर